न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ राज.

बइजलास – श्री सन्तोष कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 04 / 2021 / अपील

उनवान

1. गायत्रीबाई बेवा रमेशचन्द जाति माली निवासी ताल तहसील सुनेल
2. राघव उर्फ रघु नाबा.पि. रमेशचन्द नाबालिग संरक्षक माता गायत्रीबाई जाति माली निवासी ताल तहसील सुनेल

— अपीलांटस

बनाम

1. धनराज पि. कालूलाल जाति माली निवासी ताल तहसील सुनेल
2. समदाबाई बेवा कालूलाल जाति माली निवासी ताल तहसील सुनेल
3. घासीलाल पि. देवलाल जाति माली निवासी ताल तहसील सुनेल
4. लीलाबाई पत्नि लालसिंह जाति माली निवासी ताल तहसील सुनेल
5. सरपंच ग्राम पंचायत कनवाडी पंचायत समिति पिडावा मु0सुनेल
6. राज सरकार जरिये तहसीलदार सुनेल

अपील बनाराजगी आदेश दिनांक 05.07.2013
नामा0सं. 276 ग्राम पंचायत कनवाडी

आदेश **दिनांक : 1[illegible].03.21**

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस ने ग्राम पंचायत कनवाडी द्वारा निर्णित नामा.सं. 276 दिनांक 05.07.2013 के विरूद्ध अपील पेश कर निवेदन किया कि ग्राम ताल पटवार मण्डल कनवाडी की जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता सं. 34 की आराजी ख.नं. 198 रकबा 0.9485 हेक्टर , खाता सं. 25 की आराजी ख.नं. 203 रकबा 1.0117 हेक्टर भूमि जो मृतक खातेदार कालूलाल पि. देवजी के सहखातेदारी की रही है।

अपीलांटस सं. 1 के पति एवं अपीलांटस सं. 2 के पिता रमेशचन्द पि. कालूलाल की मृत्यु दिनांक 10.01.2013 को हो गई है एवं इसके बाद रमेशचन्द के पिता कालूलाल की मृत्यु हुई है। ग्राम पंचायत कनवाडी द्वारा दि. 05.07.2013 को मृतक कालूलाल पि. देवलाल व छगनलाल पि. देवलाल का फोती नामा सं. 276 तस्दीक करते समय मृतक कालूलाल पि. देवलाल के वारीसान की जांच किये बिना

Signature Not Verified
Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.03.30 12:41:57 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़

ही गलत तस्दीक कर दिया जिससे वादग्रस्त आराजी में मृतक कालूलाल के मृतक पुत्र रमेशचन्द के वारीसान अपीलांटस के नाम दर्ज नहीं किये गये। मृतक कालूलाल पि. देवलाल का पारिवारिक शजरा निम्नानुसार है –

मृतक कालूलाल पि. देवलाल

- मृतक रमेशचन्द पुत्र
  - गायत्रीबाई बेवा
  - राघव उर्फ रघु पुत्र
- धनराज पुत्र
- लीलाबाई पुत्री
  गुडडीबाई पुत्री
- समदाबाई बेवा

अपीलांट सं. 1 अपने पति की मृत्यु के बाद से ही अपने पीहर सारडा में रह रही है इसलिये नामा.सं. 276 की जानकारी नहीं हुई है। मुआवजा की जानकारी करने पर उक्त नामा. तस्दीक होने की जानकारी दि. 15.03.2021 को प्राप्त हुई।

अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर आदेश ग्राम पंचायत कनवाडी दिनांक 05.07.2013 नामा0सं0 276 खारीज कर अपीलांटस का नाम दर्ज किया जावे। अपील के साथ ग्राम ताल की जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता सं. 25 , 34 की नकल व नामा.सं. 276 एवं रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 24.08.2005 की प्रमाणित प्रति , आधारकार्ड की प्रति ,फोटो परिचय पत्र , मृत्यु प्रमाण पत्र , राशनकार्ड की प्रति पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही गई।

दिनांक 28.01.2022 को तहसीलदार सुनेल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि मृतक कालूलाल पि. देवलाल के दो पुत्र धनराज व रमेशचन्द एवं दो पुत्रियां लीलाबाई , गुडडीबाई व बेवा समदाबाई है जिसमें एक पुत्र रमेशचन्द की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारीसान में पुत्र राघव व बेवा गायत्रीबाई मोजूद है।

वकील अपीलांटस बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें यह पाया कि ग्राम ताल पटवार मण्डल कनवाडी की जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता सं. 34 की आराजी ख.नं. 198

Signature Not Verified
Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.03.30 12:41:57 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़

रकबा 0.9485 हेक्टर , खाता सं. 25 की आराजी ख.नं. 203 रकबा 1.0117 हेक्टर भूमि के संबंध में दर्ज नामा.सं. 276 दि. 05.07.2013 गलत दर्ज कर तस्दीक किया गया। अपीलांट मृतक खातेदार कालूलाल पि. देवलाल के मृतक पुत्र रमेशचन्द के वैध वारीसान है इसके बावजूद कालूलाल के फोती नामा.सं. 276 को दर्ज व तस्दीक करते समय अपीलांटस का नाम दर्ज नहीं किया गया जो कि गलत है।

अतः प्रस्तुत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम ताल पटवार मण्डल कनवाडी की जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता सं. 34 की आराजी ख.नं. 198 रकबा 0.9485 हेक्टर , खाता सं. 25 की आराजी ख.नं. 203 रकबा 1.0117 हेक्टर भूमि के संबंध में दर्ज नामा.सं. 276 दि. 05.07.2013 निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार सुनेल को प्रकरण रिमाण्ड कर आदेशित किया जाता है कि मृतक कालूलाल व मृतक छगनलाल के वैध वारीसान की जांच कर नये सिरे से नामान्तरकरण दर्ज करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.03.30 12:41:57 IST
Reason: SelfAttested